

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग



क्रमांक प.3(54)नविवि/3/2011पार्ट

जयपुर, दिनांक : 20.11.2012

आदेश


प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012 के दौरान सरकारी भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों एवं सरकारी भूमि पर काबिज व्यक्तियों के भूखण्डों के नियमन की कार्यवाही भी की जानी है। नियमन की गयी ऐसी भूमि की भविष्य में जनहित में सड़क चौड़ी करने के लिये आवश्यकता हो सकती है जिसके लिए अवाप्ति की कार्यवाही भी की जा सकती है।

नगरीय विकास विभाग के लिए मंत्रिमण्डल सचिवालय की आज्ञा क्रमांक प.5(1)मं.मं./2009 दिनांक 26.04.2011 द्वारा गठित एवं आदेश दिनांक 23.12.2011 से पुनर्गठित एम्पावर्ड समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 9.11.2012 में प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012 के दौरान नियमित की गई सरकारी भूमि को जनहित में सड़क चौड़ी करने के लिये अवाप्त किये जाने पर मुआवजा राशि नियमन दर एवं नियमानुसार 6 प्रतिशत ब्याज राशि के अनुसार भुगतान किये जाने के संबंध में निम्न निर्णय लिया गया है :-

“समिति द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012 की अविधि में सरकारी भूमि पर नियमित किये जाने वाले भूखण्डों को यदि भविष्य में जनहित में सड़क चौड़ी करने के लिए अवाप्त किया जाता है तो मुआवजा राशि नियमन के पेटे जमा करायी गई राशि एवं 6 प्रतिशत ब्याज दिये जाने का निर्णय लिया गया। ऐसे प्रकरणों में उपरोक्तानुसार आवंटी से अण्डर टेकिंग लिये जाने तथा पट्टे पर भी उक्त शर्त का उल्लेख अनिवार्य रूप से किये जाने का निर्णय लिया गया। यदि कोई निर्माण कर लिया गया हो तो उसके लिए प्रचलित पी.डब्ल्यू.डी. बीएसआर के अनुसार राशि देय होगी।”

अतः सभी सम्बंधित द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से ,


(आर.के.पारीक)
उप शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
7. सम्भागीय आयुक्त, समस्त (राजस्थान)।
8. जिला कलेक्टर, समस्त (राजस्थान)।
9. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. शासन उप सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अन्य अधिकारीगण, नविवि।
11. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश समस्त स्थानीय निकायों को प्रेषित करते हुए अपने विभाग की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित करवायें।
12. महापौर/समापति/अध्यक्ष, नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिकाएं (समस्त) राजस्थान।
13. अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, समस्त (राजस्थान)।
14. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिसाषी अधिकारी, नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिकाएं (समस्त) राजस्थान।
15. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त (राजस्थान)।
16. रक्षित पत्रावली।


उप शासन सचिव-द्वितीय

**राजस्थान सरकार,
नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 20 NOV 2012

स्पष्टीकरण आदेश

विभागीय समसंख्यक आवंटन नीति दिनांक 19.4.2011 द्वारा राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक, चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन के संबंध में जारी आवंटन नीति में शिक्षण संस्थाओं, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं, सार्वजनिक सुविधाओं, प्रोफेशनल संस्थाओं के लिए तथा प्रीमियम संस्थाओं को आवासीय आरक्षित दर पर भूमि आवंटन का निर्णय लेने हेतु सम्बन्धित न्यास/प्राधिकरण/आवासन मण्डल/स्थानीय निकाय को अधिकृत किया गया था।


तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 27.8.2012 द्वारा न्यास/प्राधिकरण/आवासन मण्डल/स्थानीय निकाय के स्तर पर उपरोक्त दर्जित संस्थाओं को आवासीय आरक्षित दर पर भूमि आवंटन करने से पूर्व राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक था, के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि "आवासन मण्डल द्वारा नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक, चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को संस्थानिक आरक्षित दर पर भूमि आवंटन की जावेगी मगर आवंटन करने से पूर्व राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।"

राज्यपाल की आज्ञा से,


(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय शासन विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
5. संभागीय आयुक्त (समस्त)।
6. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
8. जिला कलेक्टर, समस्त।
9. उप शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय/संबन्धित अन्य अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग।
10. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को सूचित करावें।
11. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
12. सचिव, नगर सुधार न्यास.....(समस्त)।
13. रक्षित पत्रावली।


(एन0एल0मीना)
उप शासन सचिव-तृतीय